

प्रेसनोट

दिनांक 13.09.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व रात्रिगश्त के दौरान विरमापुर नहर पुलिया पर झारखण्डी मोड़ के पास से अभियुक्तगण 1. विजय वर्मा उर्फ विन्जय पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने वर्मा व 02. रंजीत मौर्य पुत्र सीताराम मौर्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12/13.09.2025 की रात को थाना खरगूपुर के उ0नि0 कामेश्वर राउत मय हमराह क्षेत्र भ्रमण व रात्रिगश्त में खाना थे। रात्रिगश्त के दौरान पुलिस द्वारा विरमापुर नहर पुलिया पर झारखण्डी मोड़ के पास से अभियुक्तगण 1. विजय वर्मा उर्फ विन्जय पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने वर्मा व 02. रंजीत मौर्य पुत्र सीताराम मौर्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय वर्मा उर्फ विन्जय पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने वर्मा निवासी पूरे हरवाहन कस्बा खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. रंजीत मौर्य पुत्र सीताराम मौर्य निवासी जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

- 01- मु0अ0सं0 218/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- 01- 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राउत मय हमराह
02. का0 पंकज प्रेमी
03. का0 सुजीत कुमार
04. का0 अमन सिंह
05. का0 विजयशंकर राय

मीडिया सेल, गोण्डा।